Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)** मुकाम **जोधपुर**

लादुराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी ओसिंया जिला जोधपुर **बनाम** शिवचन्द पुत्र रामदेव जाति ब्राह्मण ओझा निवासी ओसियां माताजी मन्दिर के पास जिला जोधपुर व अन्य

पंचयत निगरानी नं. 03 **सन् 2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.07.2025	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ने बतलाया कि न्यायालय द्वारा प्रार्थी को पिछले कई पेशियों से अप्रार्थी संख्या 01 के कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया लेकिन अप्रार्थी ने आज दिनांक तक अप्रार्थी संख्या 01 के कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की है। प्रार्थी का पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र एबेट हो जाने से खारिज करने की प्रार्थना की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने स्वंय दिनांक 10.03.2016 को बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 01 फौत हो चुका है। न्यायालय द्वारा प्रार्थी तहसीलदार ओसियां को अप्रार्थी संख्या 01 के कायम मुकाम की कार्यवाही करने हेतु पत्र जारी किये गये लेकिन प्रार्थी ने आज दिनांक तक कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की। गत पेशी पर प्रार्थी को कायम मुकाम की कार्यवाही करने का अन्तिम अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रार्थी का पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र एबेट हो जाने से निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत का मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (सुरेन्द्र सिंह पुरोहित) अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर आदेश आज दिनांक 24.07.2025 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। (सुरेन्द्र सिंह पुरोहित) अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर	